

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 146]

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 9 अप्रैल 2015—चैत्र 19, शक 1937

मछुआ कल्याण तथा मत्स्य विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 अप्रैल 2015

क्र. एफ-3-1-2015-छत्तीस.—भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मत्स्योद्योग (राजपत्रित) सेवा भर्ती नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :—

संशोधन

उक्त नियमों में, विद्यमान अनुसूची एक, दो, तीन तथा चार के स्थान पर निम्नलिखित अनुसूचियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

अनुसूची—एक

(नियम 5 देखिए)

सेवा का वर्गीकरण, वेतनमान तथा सेवा में सम्मिलित पदों की संख्या

अनु- क्रमांक	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	पदों की संख्या			वर्गीकरण	वेतनमान	अभ्युक्तियां
		स्थायी	अस्थायी	कुल			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1.	संचालक	1	-	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 37400—67000+ग्रेड वेतन 8900	
2.	संयुक्त संचालक मत्स्योद्योग	1	3	4	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन 7600	
3.	अनुसंधान अधिकारी, मत्स्योद्योग	1	-	1	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन 6600	
4.	उप संचालक, मत्स्योद्योग	10	2	12	प्रथम श्रेणी	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन 6600	

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
5.	सहायक संचालक मत्स्योद्योग/ क्यूरेटर.	32	27	59	द्वितीय श्रेणी	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन	5400
6.	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (सांख्यिकी).	-	2	2	—तदैव—	रुपये 9300—34800+ग्रेड वेतन	4200
7.	सहायक यंत्री	1	4	5	—तदैव—	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन	5400
8.	लेखा अधिकारी	-	1	1	—तदैव—	रुपये 15600—39100+ग्रेड वेतन	5400
9.	वरिष्ठ निज सहायक	1	-	1	—तदैव—	रुपये 9300—34800+ग्रेड वेतन	4200

अनुसूची—दो

(नियम 6 देखिए)

विभाग का नाम	सेवा तथा पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भरे जाने वाले कर्तव्य पदों की संख्या का प्रतिशतता		अन्य सेवा से व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा [नियम-6(ग) देखिए]
			सीधी भरती द्वारा [नियम-6(क) देखिए]	सेवा के मूल सदस्यों की पदोन्नति द्वारा [नियम-6(ख) देखिए]	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
मत्स्योद्योग विभाग.	1. संचालक	1	-	100 प्रतिशत	
	2. संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग	4	-	100 प्रतिशत	
	3. उप संचालक, मत्स्योद्योग/ अनुसंधान अधिकारी मत्स्योद्योग.	13	-	100 प्रतिशत	
	4. सहायक संचालक, मत्स्योद्योग/ क्यूरेटर, (मत्स्यालय अधिकारी)	59	25 प्रतिशत	75 प्रतिशत	
	5. सहायक संचालक, मत्स्योद्योग/ (सांख्यिकी).	2	-	100 प्रतिशत	
	6. सहायक यंत्री	5	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	यदि विभाग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं होते हैं तो जल संसाधन या लोक निर्माण विभाग से प्रतिनियुक्ति पर.
	7. लेखा अधिकारी	1	-	-	कोष एवं लेखा संचालनालय से प्रतिनियुक्ति पर.
	8. वरिष्ठ निज सहायक	1	-	100 प्रतिशत	-

अनुसूची—तीन

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	पद का नाम (2)	न्यूनतम आयु सीमा (3)	उच्चतम आयु सीमा (4)	विहित शैक्षणिक अर्हता (5)	अभ्युक्तियां (6)
मत्स्योद्योग विभाग.	सहायक संचालक	21 वर्ष	40 वर्ष	(1) मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से प्राणीशास्त्र में मात्स्यकी विषय से स्नातकोत्तर (एम.एस.सी.) अथवा मत्स्य विज्ञान से संबंधित स्नातकोत्तर उपाधि. और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) से मान्यताप्राप्त संस्थान से एक वर्षीय अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग प्रशिक्षण या मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान नौगांव से उत्तीर्ण (सहायक मत्स्य अधिकारी स्तरीय पाठ्यक्रम). (2) किसी भी शासकीय मत्स्योद्योग विभाग या अर्द्धशासकीय मत्स्योद्योग संगठन या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) में सहायक मत्स्योद्योग अधिकारी/ अनुसंधान सहायक या समतुल्य पद पर अन्तर्देशीय मत्स्योद्योग विकास या अनुसंधान में या दोनों में लगातार पांच वर्ष तक कार्य अनुभव.	
	सहायक यंत्री	21 वर्ष	40 वर्ष	किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक उपाधि.	

अनुसूची—चार

(नियम 8 देखिए)

विभाग का नाम (1)	उस सेवा या पद का नाम जिससे पदोन्नति की जानी है (2)	उस सेवा या पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है (3)	अनुभव (4)	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के नाम (5)
मत्स्योद्योग विभाग.	1. संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग.	संचालक	संयुक्त संचालक के पद पर दो वर्ष का अनुभव.	1. मुख्य सचिव — अध्यक्ष 2. वरिष्ठ अपर मुख्य सचिव — सदस्य 3. कृषि उत्पादन आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मत्स्योद्योग. — सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि — सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
मत्स्योद्योग विभाग.	2. उप संचालक, मत्स्योद्योग/ अनुसंधान अधिकारी, मत्स्योद्योग.	संयुक्त संचालक, मत्स्योद्योग.	उप संचालक, मत्स्योद्योग/ अनुसंधान अधिकारी, मत्स्योद्योग के पद पर तीन वर्ष का अनुभव.	1. लोक सेवा आयोग का अध्यक्ष या लोक सेवा आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई सदस्य — अध्यक्ष 2. कृषि उत्पादन आयुक्त/ अपर मुख्य सचिव / प्रमुख सचिव / सचिव, मत्स्योद्योग. — सदस्य 3. संचालक, मत्स्योद्योग — सदस्य 4. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का एक प्रतिनिधि — सदस्य
	3. सहायक संचालक, मत्स्योद्योग/ क्यूरेटर, मत्स्यालय.	उप संचालक मत्स्योद्योग/ अनुसंधान अधिकारी, मत्स्योद्योग.	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग/ क्यूरेटर (मत्स्यालय)/ सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (सह.) के पद पर 5 वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
	4. सहायक मत्स्य अधिकारी वर्ग.	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग / क्यूरेटर.	1. मत्स्योद्योग प्रशिक्षण संस्थान, नौगांव या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् (आई.सी.ए.आर.) द्वारा मान्यताप्राप्त (सहायक मत्स्य अधिकारी स्तर) अंतर्देशीय मत्स्योद्योग पाठ्यक्रम प्रशिक्षित हो. उनके लिए जो 45 वर्ष से अधिक आयु के हों प्रशिक्षण अनिवार्य नहीं; और 2. सहायक मत्स्य अधिकारी/ समतुल्य पद का 5 वर्षों का अनुभव.	—तदैव—
	5. सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	सहायक संचालक, मत्स्योद्योग (सांख्यिकी).	सहायक सांख्यिकी अधिकारी के पद पर पांच वर्ष का अनुभव.	—तदैव—
	6. उपयंत्री	सहायक यंत्री	मत्स्योद्योग विभाग में उपयंत्री के पद पर आठ वर्ष का अनुभव/ यदि मत्स्योद्योग विभाग में उपयुक्त अभ्यर्थी उपलब्ध न हों तो जल संसाधन विभाग या लोक निर्माण विभागों से प्रतिनियुक्ति स्थानांतरण द्वारा.	—तदैव—
	7. निज सहायक		निज सहायक के पद पर पांच वर्ष का अनुभव.	—तदैव—

No. F-3-I-2015-XXXVI.—In exercise of the power conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Madhya Pradesh, hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh (Gazetted) Fisheries Service Recruitment Rules, 2008, namely:—

AMENDMENTS

In the said rules, for the existing Schedules, I, II, III and IV, the following Schedules shall be substituted, namely:—

SCHEDULE—I

(See Rule 5)

Classification of service, scale of pay and number of posts included in the Service

S.No. (1)	Name of post included in the Service (2)	Number of Posts			Classification (6)	Scale of Pay (7)	Remarks (8)
		Permanent (3)	Temporary (4)	Total (5)			
1.	Director	1	-	1	Class-I	Rs. 34700-67000+Grade Pay 8900	
2.	Joint Director Fisheries.	1	3	4	Class-I	Rs. 15600-39100+Grade Pay 7600	
3.	Research Officer Fisheries.	1	-	1	Class-I	Rs. 15600-39100+Grade Pay 6600	
4.	Deputy Director Fisheries.	10	2	12	Class-I	Rs. 15600-39100+Grade Pay 6600	
5.	Assistant Director Fisheries/ Qurator.	32	27	59	Class-II	Rs. 15600-39100+Grade Pay 5400	
6.	Assistant Director Fisheries (Statistics).	-	2	2	Class-II	Rs. 9300-34800+Grade Pay 4200	
7.	Assistant Engineer	1	4	5	Class-II	Rs. 15600-39100+Grade Pay 5400	
8.	Accounts Officer	-	1	1	Class-II	Rs. 15600-39100+Grade Pay 5400	
9.	Senior Personal Assistant.	1	-	1	Class-II	Rs. 9300-34800+Grade Pay 4200	

SCHEDULE—II

(See Rule 6)

Method of Recruitment

Name of Department (1)	Name of Service or Post (2)	Total No. of duty posts (3)	Percentage of Post to be filled in		Transfer of persons from other Service [vide rule 6(c)] (6)
			By direct recruitment [vide rule 6(a)] (4)	By Promotion of substantive member of Service [vide rule 6(b)] (5)	
Fisheries Department.	1. Director	1	-	100%	-
	2. Joint Director Fisheries	4	-	100%	-
	3. Deputy Director Fisheries/ Research Officer Fisheries.	13	-	100%	-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisheries Department.	4. Assistant Director Fisheries/ Curator (Aquarium Officer).	59	25%	75%	-
	5. Assistant Director Fisheries (Statistics).	2	-	100%	-
	6. Assistant Engineer	5	50%	50%	If suitable candidates are not available, then on deputation from Water Resources Department or Public works Department.
	7. Accounts Officer	1	-	-	On deputation from Directorate of Treasury and Accounts.
	8. Senior Personal Assistant	1	-	100%	-

SCHEDULE—III

(See Rule 8)

Name of Department	Name of Post	Minimum age limit	Upper age limit	Prescribe Educational Qualification	Remarks
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Fisheries Department.	Assistant Director	21 Years	40 Years	(1) M.Sc. Zoology from a recognized University with special subject of fish and fisheries/ichthyology or M.Sc. in fisheries science.	
				AND One year inland fisheries Training from any recognized institute of ICAR or AFO grade course Madhya Pradesh Fisheries Training Institute Nowgaon (Bkd).	
	Assistant Engineer	21 Years	40 Years	(2) Continuous five years working experience in Inland fisheries Development or Research or both in post of AFO/RA or equivalent in any Government fisheries Department or Semi Government fisheries Organization or ICAR fisheries institution. B.E. in civil from a recognized University.	

SCHEDULE—IV

(See Rule 8)

Name of Department	Name of Services or post from which promotion is to be made	Name of Service or post to which promotion is to be made	Experience	Name of Members of the Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Fisheries Department	1. Joint Director Fisheries	Director	Two Years experience on the post of Joint Director	1. Chief Secretary —Chairman
				2. Senior Additional Chief Secretary —Member
				3. Agriculture Production Commissioner/Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Fisheries Department —Member
				4. One Representative of Scheduled Castes or Scheduled Tribes category —Member
	2. Deputy Director Fisheries/Research Officers Fisheries.	Joint Director Fisheries.	Three year's experiences on the post of Deputy Director Fisheries/ Research Officer Fisheries.	1. Chairman Public Service Commission or any member of Public Service Commission nominated by him —Chairman
				2. Agriculture Production Commissioner/Additional Chief Secretary/Principal Secretary/Secretary, Fisheries Department —Member
				3. Director Fisheries Department —Member
				4. One Representative of Scheduled Castes or Scheduled Tribes —Member
	3. Assistant Director Fisheries/Curator (Aquarium).	Duputy Director Fisheries/ Research Officer Fisheries.	Five years Experience on the post of Assistant Director Fisheries./ Curator (Aquarium).	—do—
	4. Assistant Fisheries Officer category.	Assistant Director Fisheries/ Curator.	1. Trained in Inland Fisheries (At the standard of Assistant Fisheries Officer)	—do—

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
			from Nowgone or any training institute recognized by ICAR for those who are above 45 years training is not necessary; and	
			2. 5 years experiences on the post of Assistant Fisheries Officer or its equivalent.	
5. Assistant Statistical Officer	Assistant Director Fisheries (Statistics).	Assistant Director Fisheries (Statistics).	5 years experiences on the post of Assistant Statistical Officer.	—do—
6. Sub-Engineer	Assistant Engineer	Assistant Engineer	8 years experience in Fisheries Department on the post of Sub-Engineer. If suitable candidate is not available, then on deputation/transfer from Water Resources Department or Public Works Department.	—do—
7. Personal Assistant	Senior Personal Assistant.	Senior Personal Assistant.	Five years experience on the post of personal Assistant.	—do—

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कमला अजीतवार, उपसचिव.